न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

मु0नं0–39/2014 RCMS NO– 2014/00034

उनवान –सरकार बनाम श्री पूरनचंद अग्रवाल (विक्रेता) एवं श्री अजयकुमार चौधरी, नोमिनी हिन्दुस्तान कोकाकोला देवरेजेज प्रा0लि0 रीको इंडस्ट्रीयल एरिया कालाडेरा तह0 चौमू जिला जयपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) 52एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक –08.02.2020

आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री महेशकुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अप्रार्थी श्री पूरनचंद अग्रवाल (विक्रेता) एवं श्री अजयकुमार चौधरी, नोमिनी हिन्दुस्तान कोकाकोला देवरेजेज प्रा0लि0 रीको इंडस्ट्रीयल एरिया कालाडेरा तह0 चौमू जिला जयपुर के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) 52 एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 10.05.2013 को अप्रार्थी श्री पूरनचंद अग्रवाल की बजरिया रोड धौलपुर पर स्थित मां भगवती एजेंसीज का निरीक्षण करने के दौरान दुकान में कार्टून में स्थित लगभग 1.25–1.25 लीटर के 840 बोतलें स्वीटन्ड कार्वोनेटेड (थम्स अप) में मिलावट का शक होने पर वास्ते नमूना जांच 1.25–1.25 लीटर के 12 बोतलें स्वीटन्ड कार्वोनेटेड (थम्स अप) अप्रार्थी से खरीदा गया। उक्त स्वीटन्ड कार्वोनेटेड (थम्स अप) नमूना डी–430 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की रिपोर्ट दिनांक 18.06.2013 के अनुसार उक्त स्वीटन्ड कार्वोनेटेड (थम्स अप) मिसब्राण्ड प्रकृति का होना पाया गया। अनुसंधान दौरान मां भगवती एजेंसी बजरिया रोड धौलपुर द्वारा हिन्दुस्थान कोकाकोला वेवरेजेज प्रा0लि0 कालाडेरा तह0 चौमू जिला जयपुर का कय बिल प्रस्तुत किया गया जिसे पक्षकार प्रकरण बनाया गया। प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थीगण मय अभिभाषक के उपस्थित हुऐ। अप्रार्थीगण को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थीगण ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुर्नावृति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थीगण के अभिभाषक को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त मिसब्राण्ड स्वीटन्ड कार्वोनेटेड (थम्स अप)का विकय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी मिसब्राण्ड स्वीटन्ड कार्वोनेटेड (थम्स अप) बेचने का दोषी है जो धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थीगण श्री पूरनचंद अग्रवाल (विक्रेता) एवं श्री अजयकुमार चौधरी, नोमिनी हिन्दुस्तान कोकाकोला देवरेजेज प्रा0लि0 रीको इंडस्ट्रीयल एरिया कालाडेरा तह0 चौमू जिला जयपुर पर राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत 3,000/–रुपये (तीन हजार रू0) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रैट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र के0 वर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)